प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी, लखनऊ

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत मेसर्स सनवोडा इलेक्ट्रानिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-1134/78-1-2017-87आईटी/2014, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 द्वारा ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017'' जारी की गई थी। नीति के 05 वर्षों के लक्ष्य 03 वर्षों में ही अर्जित कर लिये जाने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा नई ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020'' इस प्रतिबन्ध सहित प्रख्यापित की गई है कि ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020'' की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेज्ड प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे {नीति का प्रस्तर 4.1}।

2- मेसर्स सनवोडा इलेक्ट्रानिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूखण्ड संख्या डी-204, सेक्टर 63, नोयडा तथा भूखण्ड संख्या-61डी, ईकोटेक-2, ग्रेटर नोयडा में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण (Electronic Manufacturing) जैसेकि स्मार्ट फोन की बैटरी, प्लास्टिक मोबाइल केस, पी.सी.एम. थ्रू एस.एम.टी., मोबाइल फोन्स के लिए लीथियम ऑयन सेल के उत्पादन हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु 2 चरणों में, लगभग रु 210.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई है।

3- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सनवोडा इलेक्ट्रानिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत रु 200 करोड़ से अधिक धनराशि का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र0 सं0	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	अनुमानित धनराशि (रु करोड़ में)
1	पूँजी उपादान	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.1 के अनुसार, भूमि को छोड़कर रु 200 करोड़ से अधिक स्थिर पूंजी निवेश वाली इकाई को पूँजीगत निवेश पर 15 प्रतिशत (वास्तविक आधार पर अधिकतम रु 150.00 करोड़) (अनुमानित रु 31.50 करोड़)	31.50
2	नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति	10 वर्षों तक नेट एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (मानक परिचालन प्रक्रिया एस0ओ0पी0 दिनांक 12-06-2020 यथासंशोधित के आधार पर अनुमन्यता)	** नेट एस.जी.एस.टी.
** नेट एस.जी.एस.टी. (मानक परिचालन प्रक्रिया-एस0ओ0पी0 दिनांक 12 जून, 2020 के आधार पर अनुमन्यता)			

4- 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020' के प्रस्तर 5.1 में प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद 5 वार्षिक किश्तों में दिये जाने की व्यवस्था के क्रम में मेसर्स सनवोडा इलेक्ट्रानिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को भी वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद 5 वर्षिक किश्तों में पूँजी उपादान की अनुमन्यता होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना हेतु मांगे गये उपरोक्त प्रोत्साहन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जायेंगे।

(1) इकाई को 'उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर पूंजी निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 की व्यवस्था के अनुरूप, वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर किये जाने वाले निवेश ही मान्य होंगे तथा इस अवधि में व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिया जाना भी आवश्यक है।

(3) निवेशक द्वारा अन्तिम लोकेशन पर जितना स्थिर पूंजी निवेश होगा, उसी के सापेक्ष पूंजी उपादान की अनुमन्यता होगी तथा इसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

(4) किराये के परिसर पर स्थिर पूंजी निवेश किया गया है तो पूंजी उपादान का भुगतान 5 किश्तों में किया जायेगा।

(5) भूमि की प्रचलित दरों में छूट इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किए जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- 3049/77-4-20-16एलसी/18, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) निवेशक द्वारा भारत सरकार की 'एम-सिप्स' योजना के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया है।

(7) इकाई के स्थिर निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ परियोजना मूल्याँकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था (सक्षम वित्तीय संस्थान/ बैंक) से अनिवार्य रूप से तैयार कराई जायेगी।

(8) इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा किये गये मूल्याँकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

(9) वित्तीय प्रोत्साहन उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 की व्यवस्था के अनुरूप उपलब्ध कराये जायेंगे। यह इकाई द्वारा किये गये वास्तविक पूंजी निवेश के अधीन होगा। वास्तविक पूंजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों (financial statements) के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्याँकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(10) इकाई द्वारा भूमि के मूल्य का भुगतान सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/मुख्य प्रवर्तक को लेटर ऑफ कम्फर्ट/लेटर ऑफ एप्रूवल निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में किया जायेगा।

(11) सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन निर्गत किये जाने की तिथि से छह माह की अवधि के अन्दर प्रस्तावित कार्यस्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ करना होगा।

(12) उक्त प्रोत्साहनों/छूट की प्राप्ति के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 की अन्य शर्तें भी प्रभावी होंगी।

6- यह आदेश मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।
कृपया निवेशक को तद्नुसार अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 18/2022/1011 (1)/78-1-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
13- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
14- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in